

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

सं०सं०-8/ज०सं०(नि०) न०वि० 19-01/2019/राँची, दिनांक-.....

संकल्प

खूँटी नगर पंचायत की निविदा सं०- KNP-19/2017-18 (दतिया रोड से पीपल चौक तक सड़क का कालीचरण कार्य) के निस्तार में हुई अनियमितता के आरोप के लिए श्री बसंत कुमार लाभ (ID - J8168), तत्कालीन सहायक अभियंता, जिला परिषद् खूँटी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई जिसमें श्री ददन चौबे, (से०नि०, झा०प्र०से०) जाँच पदाधिकारी नियुक्त किये गये।

- (II) संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री बसंत कुमार लाभ के राजपत्रित पदाधिकारी नहीं होने के कारण इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही का संचालन एवं आरोपों को जाँच करने से इन्कार किया गया।
- (III) अतएव, विभागीय संकल्प झापांक- 1911 दिनांक- 09.04.2019 द्वारा श्री लाभ के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में नियुक्त श्री ददन चौबे, (से०नि०, झा०प्र०से०) के स्थान पर श्री नागेन्द्र तिवारी, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
- (IV) विभागीय संकल्प झापांक- 1911 दिनांक- 09.04.2019 की अन्य कंडिकायें यथावत् रहेंगी।
- (V) प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग।

झापांक -/राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि : श्री नागेन्द्र तिवारी, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय संकल्प झापांक- 1911 दिनांक- 09.04.2019 (अनुलग्नक सहित) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग।

झापांक - **3636**/राँची, दिनांक- **10/01/19**

प्रतिलिपि सरकार के उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री बसंत कुमार लाभ, कनीय अभियंता (निलंबित) मुख्यालय- मुख्य अभियंता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.7.19
सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग